-:प्रेस नोट:-

दिनांक- 23.09.2024

कार्यालय पुलिस अधीक्षक बांदा

- **आपरेशन कन्विक्शन के तहत त्वरित एवं निष्पक्ष विवेचना, प्रभावी अभियोजन एवं पैरवी के फलस्वरुप वर्ष-2018 में व्यक्ति की अवैध तमंचे से गोली मारकर हत्या करने वाले अभियुक्त को मा0 न्यायालय द्वारा दिलाई गई आजीवन कारावास व 11 हजार रुपए जुर्मानें की सजा।**

विवरण –पुलिस महानिदेशक उत्तर प्रदेश के निर्देशन में चलाये जा रहे अभियान **आपरेशन कन्विक्शन** के तहत कड़ी सजा दिलाये जाने के क्रम में पुलिस अधीक्षक बांदा श्री अंकुर अग्रवाल के कुशल निर्देशन में वर्ष-2018 में व्यक्ति की अवैध तमंचे से गोली मारकर हत्या करने वाले अभियुक्त को आजीवन कारावास व जुर्माने से दण्डित कराया गया। गौरतलब हो कि दिनांक 27.04.2018 की ग्राम अमवा थाना बिसंडा का रहने वाला सोनपाल मोटरसाइकिल से डीजल लेने अतर्रा जा रहा था, जैसे ही वह ग्राम गडांव के पास पहुंचे तो गांव के ही रहने वाले राजू पुत्र भुरवा रैदास ने पुरानी रंजिश को लेकर सोनपाल की अवैध तमंचे से गोली मार दी जिससे वह गम्भीर रूप से घायल हो गया। इलाज के लिए कानपुर ले जाते समय सोनपाल की मृत्यु हो गई । इस संबंध में मृतक के पिता रामबाबू यादव की तहरीर पर थाना बिसंडा पर मु0अ0सं0 64/18 धारा 302/506 भा0द0वि0 व 3/25 आयुध अधिनियम पंजीकृत किया गया था जिसकी विवेचना एसएचओ श्री रामकेवल पटेल द्वारा सम्पादित की गयी। विवेचक द्वारा प्रभावी विवेचना करते हुये साक्ष्य संकलन करते हुए आरोपी को दिनांक 29.04.2018 को गिरफ्तार कर जेल भेजा गया तथा दिनांक 17.07.2018 को आरोप पत्र मा0 न्यायालय में दाखिल किया गया था। अभियोजक श्री जयप्रकाश साहू द्वारा मा0 न्यायालय में प्रभावी पैरवी की गई साथ ही कोर्ट मोहर्रिर म0 आरक्षी निशा पटेल तथा पैरोकार आरक्षी राजन अग्नहोत्री के अथक प्रयासों से अभियुक्त को मा0 न्यायालय बांदा द्वारा आजीवन कारावास व 11 हजार रुपये के अर्थदण्ड से दण्डित कराया गया।

अभियुक्त-

1. राजू पुत्र भुरवा रैदास नि0 नाहर पुरवा मजरा अमवा थाना बिसंडा जनपद बांदा

अभियोग-

- मु0अ0सं0 64/18 धारा 302 भा0द0वि0 व 3/25 आर्म्स एक्ट थाना बिसंडा जनपद बांदा।